(☏ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400 001

सं. No.201(12)/31/2019-आईआरडब्ल्यू IRW/975 जनवरी January 20, 2020

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय **Subject**	:	अनुकंपा नियुक्ति पर सीएचएसएस आजीवन अंशदान की वापसी के संबंध में सीएचएसएस स्पष्टीकरण। **CHSS Clarification on refund of CHSS life time contribution on compassionate appointment**

विभाग में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति होने और उसके बाद अपने वेतन से मासिक अंशदान के भुगतान करने से सीएचएसएस सुविधा के मुख्य लाभार्थी के लिए पात्र होने पर सीएचएसएस लाभ लेते रहने के लिए मृत कर्मचारी के परिवार द्वारा एक बार में किए गए आजीवन अंशदान की वापसी के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु विभाग में पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

References are being received in the Department seeking clarification on the matter regarding refund of one time lifelong contribution made by the family of the deceased employee for continuing to avail the CHSS benefits, on getting employment with the Department on compassionate basis and thereby becoming eligible for the CHSS facility as prime beneficiary on payment of monthly contribution from their pay.

2. उपरोक्त विषय पर विभाग में वर्तमान सीएचएसएस नियमावली के अनुसार विस्तार से जांच की गई और यह निर्णय लिया गया है कि पहले वसूले गए आजीवन अंशदान, जो कि उन्हीं लाभार्थियों के लिए है, फिर भी उसे वापस करना निम्नलिखित कारणों से अनुचित है :

The above matter was examined in detail in the Department as per the extant CHSS Rules and it has been decided that it is not appropriate to refund the life contribution already recovered though it is for the same beneficiaries for the following reasons:

(i) विद्यमान सीएचएसएस नियमावली 1998 में सीएचएसएस लाभ को लेते रहने के लिए मृत कर्मचारी के परिवार से वसूले गए एक बार के आजीवन अंशदान को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।
There is no enabling provision under the prevailing CHSS Rules 1998 to make a refund of the one time lifelong contribution recovered from the family of the deceased employee for continuing to avail the CHSS benefits.

(ii) परिवार के पात्र सदस्यों को सीएचएसएस लाभ लेते रहने के लिए एक बार का आजीवन अंशदान वसूला गया था।
The one time lifelong contribution was recovered for continuing to extend CHSS facilities to the eligible family members.

3. विभाग में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति एक नया मामला है और कर्मचारी के रूप में लाभार्थी को सीएचएसएस लाभ दिया जा रहा है जिसके लिए उनके वेतन के आधार पर सुविधा अंशदान की वसूली की जा रही है।

Employment with the Department on Compassionate basis is a fresh event and the CHSS benefit is being extended to the beneficiary as an employee, for which facility contribution is recovered on the basis of his/her pay.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सभी सीएचएसएस प्रशासन प्राधिकारी
(वितरण सूची के अनुसार)
All CHSS Administering Authorities
(as per distribution list)

प्रतिलिपि Copy to : (1) पऊवि वेबसाइट DAE Web Site
(2) दर्पण पोर्टल Darpan Portal